न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 02/2023

अपीलार्थी

जुजाराम पुत्र गेनाराम जी, जाति– मेघवाल, निवासी– बागसीन, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थीगण

1. हनवन्तसिंह पुत्र भैरुसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बागसीन, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
2. सरुपसिंह पुत्र गुलाबसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बागसीन, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज

"अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

(1) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अपीलार्थी की ओर से
(2) अधिवक्ता श्री देवीसिंह राणावत, प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) की ओर से
(3) पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 3 की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 29 नवम्बर, 2024**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 अर्न्तगत धारा 183(ख) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित निर्णय दिनांक 17.8.2022 से व्यथित होकर प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) की ओर से अधिवक्ता श्री देवीसिंह राणावत उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या– 1 (हनवन्तसिंह) को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपीलार्थी की अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि में से 4 बीघा भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) का अवैध रुप से कब्जा करना बताते हुये शिकायत दर्ज करवाई थी और उक्त शिकायत पर तहसीलदार, शिवगंज द्वारा पटवारी हल्का, बागसीन से रिपोर्ट मंगवाई गई। पटवारी हल्का ने प्रत्यर्थी संख्या 1 (हनवन्तसिंह) द्वारा अपीलार्थी की भूमि पर कब्जा करना बताते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की गई एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। यह कि अपीलार्थी की भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) द्वारा कब्जा करने की शिकायत करने के बावजूद भी गलत रुप से प्रत्यर्थी संख्या 1 (हनवन्तसिंह) के विरुद्ध मामला दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कानूनन गलत है। यह कि खसरा संख्या 1181/697 की भूमि में अपीलार्थी के पिता गेनाराम जी पुत्र केसाजी को नसबन्दी कराने से वर्ष 1972 में 7 बीघा आवंटित हुई थी, जिसमें से 4 बीघा भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) ने अवैध रुप से कबजा कर रखा है जिसकी शिकायत अपीलार्थी ने उपखण्ड़ अधिकारी,

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

शिवगंज को की थी और कोई कार्यवाही नही होने पर सम्पर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई थी। अपीलार्थी की शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में अपीलाधीन प्रकरण दर्ज किया गया था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को नोटिस व सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.8.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 1 (हनवन्तसिंह) के विरुद्ध गलत रुप से पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। यह कि अपीलार्थी ने उसकी खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1181/697 रकबा 1.1332 हेक्टेयर भूमि में से 4 बीघा भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या–1 (हनवन्तसिंह) द्वारा करना बताया ही नही तो स्वभाविक है कि प्रत्यथी संख्या 1 (हनवन्तसिंह) का मौके पर कब्जा नही पाया गया है और ना ही वह अपीलार्थी को कब्जा सुपर्द कर सकता हें जबकि मौके पर अपीलार्थी की कृषि भूमि में प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) द्वारा अवैध रुप से कब्जा किया गया है व अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) के विरुद्ध ही शिकायत दर्ज करवाई है परन्तु पटवारी हल्का, बागसीन ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट में गलत रुप से प्रत्यर्थी संख्या 1 (हनवन्तसिंह) का कब्जा बताते हुए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है और उसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 (हनवन्तसिंह) को कब्जा सुपर्दगी के आदेश दिये है, जो कानूनन गलत होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) द्वारा अवैध रुप से कब्जा करने से प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) को अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि से बेदखल करना कानूनन आवश्यक है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) को मौके से बेदखल करवाने व अपीलार्थी को कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) का न तो कब्जा है एवं न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर कब्जा किया है। अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि पर पडौसी खातेदार हनवन्तसिंह द्वारा अवैध रुप से कब्जा किया गया है, जो पटवारी हल्का, बागसीन की रिपोर्ट से स्पष्ट है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की शिकायत पर मौके व रेकर्ड की पटवारी हल्का से जांच रिपोर्ट प्राप्त कर विधि अनुरुप निर्णय पारित किया है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी सरुपसिंह न तो पक्षकार है एवं न ही उसका अपीलार्थी की भूमि पर कोई कब्जा है, उसके बावजूद भी अपीलार्थी ने इस अपील में प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) को गलत रुप से पक्षकार बनाया है। प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) का इस प्रकरण में कोई लेना देना नही है एवं न ही प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा अपीलार्थी की खातेदारी भूमि पर कब्जा किया है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। बहस के दौरान विद्वान पेरोकार सरकार ने यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी जुजाराम की शिकायत पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा पटवारी हल्का, बागसीन से मौके व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट मंगवाकर अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह का कब्जा पाया जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद जांच विधि अनुरुप निर्णय पारित किया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री जुजाराम पुत्र गेनाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– बागसीन के द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर परिवार दर्ज करवाया गया। सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरण संख्या 062207812854408 की जांच पटवारी हल्का, बागसीन के द्वारा की गई। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार विवादित भूमि परिवादी के पिता गेनारामजी के नाम दर्ज है, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो चुकी है। विवादित भूमि जो ग्राम बागसीन के खसरा

.....पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

संख्या 1181/697 रकबा 1.1331 हेक्टेयर दर्ज है। पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर प्रार्थी के पास 4 बीघा भूमि है व शेष भूमि श्री हनवन्तसिंह पुत्र भैरुसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– बागसीन का 3 बीघा भूमि पर कब्जा बताया गया है। प्रार्थी अनुसूचित जाति वर्ग का होने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183(ख) के तहत प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह पुत्र भैरुसिंह, जाति–राजपूत, निवासी– बागसीन के विरुद्ध प्रकरण संख्या 05/2022 दर्ज किया जाकर प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 03.8.2022 को अपीलार्थी जुजाराम एवं प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह उपस्थित हुये। अपीलाधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् नियत सुनवाई तिथि 17.8.2022 को अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी जुजाराम उपस्थित नही हुआ। अपीलाधीन प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 17.8.2022 को प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ एवं अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.8.2022 को ही निर्णय पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.12.2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन निर्णय की पालना में अपीलार्थी को उसकी अतिक्रमित खातेदारी भूमि का प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह से कब्जा दिलाने हेतु दिनांक 24.12.2022 को भू अभिलेख निरीक्षक, पालडी एम व पटवारी हल्का, बागसीन मौके पर गये, लेकिन अपीलार्थी द्वारा उसकी अतिक्रमित खातेदारी भूमि हनवन्तसिंह पुत्र भैरुसिंह जी के कब्जें में नही होकर पडौसी खातेदार सरुपसिंह पुत्र गुलाबसिंह के कब्जें में होना व्यक्त किया, जिससे अपीलार्थी जुजाराम को मौके पर कब्जा नही किया गया।

चूंकि अपीलार्थी ने यह अपील भी मुख्यतः इस कथन के आधार प्रस्तुत की है कि ''अपीलार्थी की भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 2 (सरुपसिंह) द्वारा कब्जा करने की शिकायत करने के बावजूद भी गलत रुप से प्रत्यर्थी संख्या 1 (हनवन्तसिंह) के विरुद्ध मामला दर्ज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।'' अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नही दिया है एवं न ही अपीलार्थी व पटवारी हल्का के बयान कलमबद्ध किये है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह का प्रत्यर्थी हनवन्तसिंह के स्वयं की खातेदारी भूमि पर कब्जा होना अंकित किया है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, शिवगंज द्वारा प्रकरण संख्या 05/2022 अनवान जुजाराम बनाम हनवन्तसिंह में पारित निर्णय दिनांक 17.8.2022 को निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, शिवगंज को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जाता है कि विवादित भूमि के मौके व रेकर्ड की जांच करवाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर सत्यमेव जयते सिरोही